की स्टील कितनी मात्रा में पिछले साल लायी गयी। मेरे पास लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं हाउस का समय नहीं लेना चाहता हूं। अगर आनरेबुल मेम्बर चाहें तो उनको भेज दूंगा।

श्री चतुरानन मिश्र : जो चीजें आपने मंगवायीं, वे आपके "सेल" के स्टाक में थीं या नहीं थीं। कुछ आइटम तो कहिये और पूरी लिस्ट भेज दीजिएगा, लेकिन सदन को तो आश्वस्त हो कि आप क्या कर रहे हैं कुछ आइटम कहिये कि जो स्टाक आपके पास नहीं थी वहीं मगाया या वे ही आइटम्स कहिए जो "सेल" के पास थे लेकिन प्राइवेट पार्टियों ने मांगा लिये। इन दोनों में कुछ आइटम्स तो कहिये।

श्री माखन लाल फोतेदार : कुछ आइटम्स में जैसे जी.पी.जी.सी. शीट है जिस टाइप की जी.पी.जी.सी. शीट चाहिये वह "सेल" के पास दरकार नहीं हो तो हम ऐसे आइटम्स की इजाजत... **(व्यवधान)**...दे देते हैं। मेरे पास आइटम्स की सूची है। जी.पी.जी.सी. शीट्स हमने इम्पोर्ट किये हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : जो आप प्रोडयूस करते हैं उसी वरायटी की बात कीजिए। जो हम नहीं प्रोडयूस करते है वह तो मंगाना पड़ेगा लेकिन जो हम प्रोडयूस करते है उसके बारे में कहिए।

श्री माखन लाल फोतेदार : जरा शांत रहिये। हम जो प्रोडयूस करते हैं लेकिन जिस क्वालिटी का कंज्यूमर को चाहिये जिस टाइप का चाहिये वह अगर "सेल" के पास नहीं है तो उसकी आयात की हम इजाजत दे देते हैं... **(व्यवधान)**।

श्री चतुरानन मिश्र : एक भी आइटम कहा नहीं कि जिसको प्रोडयूस करते हैं और उसको मंगाया गया... **(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN; It will take time because it is a long list. He will send it to you.

SHRI CHATURANAN MISHRA: I wanted only a few items. After all the House should be informed. I do not want the long list.

SHRI JAGESH DESAI: Mr. Mishra, without getting a clearance from the SAIL, they do not allow any import.

श्री माखन लाल फोतेदार : अगर आप इसी से शायद हो जायगे तो पिग आयरन "सेल" प्रोडयूस करता है। हम पूरी मात्रा में प्रोडयूस नहीं कर सके इसलिये हम बाहर से लाये तो पिग आयरन एक आइटम है। एच.आर. कायल्स और सी० आर० कायल्स दूसरा आइटम है। हम प्रोडयूस करते हैं लेकिन उस मात्रा में प्रोडयूस नहीं करते है जितनी कि यहां दरकार है, इसलिये वह आइटम भी हम बाहर से लाये। इसलिये आप यह नहीं कह सकते कि "सेल" जो प्रोडयूस करता है, वह हम बाहर से लाते हैं। "सेल" जो प्रोडयूस करता है, अगर वह पूरा प्रोडयूस नहीं करता है, जिसकी मार्केट को यहां जरूरत है, तो उस वक्त हम बाहर से मंगवाने की इजाजत देते है। मने कुछ आइटम्स दिये है, अगर और आइटम्स चाहिये, तो मैं दे दूंगा।

*44. *[The questioner (Shri K. V. Thangkabalu) was absnent. For nas-Wer vide cols. infra]*

कृषि वैज्ञानिकों द्वारा त्यागपत्र

***45. श्री ईश दत्त यादव :†**
श्री वीरेन्द्र शर्मा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध संस्थानों के कई कृषि वैज्ञानिक ने सकाय से त्यागपत्र देने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं; और

†सभा में यह प्रश्न श्री ईश दत्त यादव द्वारा पूछा गया।

(ग) अंतर्ग्रस्त मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल): (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में काम करने वाले कुछ वैज्ञानिकों ने निदेशक को पत्र लिखे थे कि वे 16 जनवरी, 1989 से स्नातकोत्तर शिक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत शिक्षा देने का काम नहीं करेंगे। ये पत्र बाद में उन्होंने वापिस ले लिये। ये पत्र वेतनमानों में तत्काल संशोधन करने की मांग को लेकर लिखे गये थे। वेतनमानों में संशोधन के फैसले की घोषणा 18 फरवरी, 1989 को कर दी गई है और ये 1.1.86 से लागू कर दिये गये हैं।

श्री ईश दत्त यादव: माननीय सभापति जी, माननीय कृषि मंत्री जी का उत्तर न तो स्पष्ट है और न ही संतोषजनक है। भारतीय कृषि अनुसंधान सस्थान में काम करने वाले कृषि वैज्ञानिक न तो केंद्रीय सरकार के नियमों का लाभ पाते हैं और न ही यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित वेतनमान या दूसरी सुविधाओं का लाभ पाते हैं। इसलिए उन लोगों की बराबर मांग रही है कि हमको किसी एक में सम्मिलित कर लिया जाए और हमें सुविधायें दी जाएं।

उनकी मांग पर डा. एम.डी. राओ कमेटी बैठी थी। इस कमेटी ने सस्तुति की कि यू.जी.सी. के नियमों के अनुसार कृषि वैज्ञानिकों को सुविधायें दी जाएं, उनको हाउस अलौन्स दिया जाए, दूसरी सुविधायें दी जाएं। लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने दो बार प्रदर्शन किया और उन लोगों ने त्याग-पत्र दिया। कुछ ने तो शिक्षा कार्य से विरत रहने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है और कुछ ने स्थायी रूप से अपनी सेवायें छोड़ देने के लिए त्याग-पत्र दिया है। लेकिन अभी माननीय कृषि राज्य मंत्री, शास्त्री जी की, जो मेरी जानकारी है, मध्यस्थता के कारण उन्होंने अपने त्याग-पत्र को केवल स्थगित रखा है।

तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या डा. एम.डी. राओ कमेटी बनी थी और अगर बनी थी तो उसने अपनी संस्तुति क्या दी, और क्या जो सस्तुति दी है, उसको सरकार क्या अविलम्ब लागू करने जा रही है कि नहीं?

श्री भजन लाल: माननीय सभापति जी, मैंने अभी सवाल के जवाब में सारी बात बताई है। आप जानते हैं कि फोर्थ पे कमीशन बना था और फोर्थ पे कमीशन ने सारे मुल्क में जो तीस हजार के करीब साइंटिस्ट हैं, उनमें से साढ़े पच्चीस हजार का तो फसला यू.जी.सी. के नियमों के अनुसार कर दिया है, लेकिन जो आई.सी.ए.आर. में तकरीबन साढ़े चार हजार वैज्ञानिक हैं, उनको पूरी तरह से उसमें प्रोटैक्ट नहीं किया गया है।

इसी बात को लेकर थोड़ा सा रोष आई.सी.ए.आर. के साइंटिस्ट्स में आया और जो उनके साथ अनामोलीज थीं, उसका ज्ञापन उन्होंने सरकार को दिया। सरकार ने उस पर पूरी तरह गहराई से विचार करके महसूस किया कि वाकई इनके साथ थोड़ी ज्यादती हुई है, उनको इन्साफ मिलना चाहिए। उसी बात को लेकर दुबारा से विचार करने के बाद और जो वतनमान बाकी साइंटिस्ट्स को देश के अंदर यू.जी.सी. के मताबिक मिले हैं या फोर्थ पे कमीशन के मुताबिक 1-1-1986 से बाकी को मिले थ, उसी डट से इनको दे दिया गया है। कोई प्राब्लम नहीं, सब पूरी तरह से ठीक है।

यह ठीक बात है कि 4,352 साइंटिस्ट्स जो यहां हैं, उनमें से तीन सौ के करीब ने थोड़ा रोष प्रकट किया था कि अगर हमें यह जल्दी वेतनमान नहीं देते हैं तो हम अपना त्याग-पत्र देते हैं। जबे उनको पता लगा और हमने उनसे कहा

भी कि आपकी सारी बातों पर गहराई से विचार कर रहे हैं, आपका केस रेकोमेंड करके फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास गया हुआ है और बहुत जल्दी उसका फैसला होने वाला है। उसी बात को मान कर उन्होंने अपने त्याग पत्र फौरन वापिस ले लिये। अब साढ़े चार हजार में से तीन सौ की कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने यह इसलिए किया ताकि उनका यह फैसला जल्दी हो जाए और वह फैसला लागू भी जल्दी कर दिया जाए।

अब उनकी कोई शिकायत या प्राब्लम या अनामली नहीं रही है। अब उनकी शिकायत नहीं है।

श्री ईश दत्त यादव: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो फैसला हुआ है क्या उसके अनुसार विसंगतियां दूर कर दी गई और उनके वेतनमान जो होने चाहिए वह उनको दिए जा रहे हैं?

श्री भजन लाल: सभापति महोदय, अभी मैंने बताया कि सारी विसंगतियां दूर करके और जो दूसरों को दिया गया है उसके मुताबिक बाकायदा उनको दिया गया है और वे सारे के सारे बड़े भारी खुश हैं। आप जा करके उनसे पूछेंगे तो सरकार के नारे लगाते वे आप को मिलेंगे।

श्री बीपेन घोष: जब सरकार के खिलाफ नारा लगाया तब आपने दिया और पहले नहीं दिया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा: माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, माननीय मंत्री जी ने बताया कि उनकी कुछ शिकायतें थीं और वह दूर कर दी गई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि तीन कमेटियां इस संबंध में बनी थीं। एम. वी. राव कमेटी, जी. वी. के. राव कमेटी और एम. जी. के. मेनन कमेटी। इन तीनों कमेटियों ने जो संस्तुतियां की थीं उसको कृषि मंत्रालय ने और जो फाइनेंस विभाग का एक्स पेंडीचर विभाग है उसने और पर्सोनल मिनिस्ट्री तीनों ने स्वीकार कर लिया था, तो माननीय मंत्री जी अगर मुझे डेट बता सकें कि इन तीनों मंत्रालयों ने कब स्वीकार किया और अगर तारीख न बता सकें तो बहुत लंबे समय तक भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, पर्सोनल विभाग और वित्त विभाग के एक्सपेंडीचर विभाग के यहां ये संस्तुतियां क्यों पड़ी रहीं? इसका कौन जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदारी फिक्स करेंगे? आप ने कहा कि सब सन्तुष्ट हैं, आपने पहली जनवरी, 1986 से स्वीकृति प्रदान की है और कब की है 16 फरवरी को, तो इसका मतलब है कि तीन साल से भी अधिक समय तक उनकी न्योचित मांग आपके विचाराधीन पड़ी रही, मान्यवर, यह मेरा पहला प्रश्न है? मेरा दूसरा प्रश्न है।

श्री सभापति: दूसरा क्लाज कहिए।

श्री वीरेन्द्र वर्मा: मेरा दूसरा क्लाज है, पार्ट वन एंड पार्ट टू, "बी" समझिएगा, एक आई.सी.ए.आर. की रिव्यू कमेटी बनी थी और उसने अपनी संस्तुतियां दी थीं। एक्सपर्ट्स पैनल ने रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट्स पर अपनी संस्तुतियां कब की और सरकार ने उस पर क्या विचार किया?

श्री भजन लाल: सभापति महोदय, यह ठीक बात है कि कुछ असंगतियां उनके साथ थीं तभी तो उनको शिकायत थी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा: कुछ ही कहते हैं, 7 आदमियों ने तो सुइसाइड किया और आप कह रहे हैं कि कुछ असंगतियां थीं। 7 आदमी सुइसाइड कर चुके हैं, आत्म-हत्या कर चुके हैं।

श्री भजन लाल: सभापति महोदय, इस बात को लेकर सुइसाइड करने की बात नहीं थी, वह कुछ और बात, थी

बहुत ही पहले की, घरेलू बात भी उनकी हो सकती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : किस कद्र अफसोस है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, क्या मियां-बीवी का झगड़ा था जो घरेलू बात थी?

श्री वीरेन्द्र वर्मा : इस बात से ही जाहिर होता है कि मंत्री महोदय कितने नान-सीरियस हैं कि 7 आदमी आत्म-हत्या करें इन विसंगतियों को ले करके और मंत्री जी कह रहे हैं कि घरेलू बातें हैं। क्या आप साबित कर सकेंगे कि उनकी घरेलू बात थी?

श्री भजन लाल : वर्मा जी आप सुनने की कृपा करेंगे, आप तो बहुत पुराने सीनियर मैम्बर हैं और कृषि मंत्रालय भी आपके पास रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत बड़ी स्टेट है वह और आपका बड़ा सम्मान हम करते हैं। आप सुनने की कृपा करिए और आप जानते हैं कि सुसाइड के कई कारण होते हैं। देश में कोई एक आदमी की बात नहीं है। आप जानते हैं कृषि मंत्रालय कोई छोटा मंत्रालय नहीं है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मेरे जो प्रश्न हैं आप उनके उत्तर दीजिए?

श्री भजन लाल : मैं आपके उत्तर पर आ रहा हूं।

SHRI DIPEN GHOSH: I take objection to his words. Actually it is a fast that many agricultural scientists working in I.C.A.R. had committed suicide because of maltreatment meted out to them by the Administration. The Minister is laughing at that.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : सभापति महोदय, मैंने उठाया था आडवाणी जी ने भी उठाया था, कई दफा यह मामला इस माननीय सदन में उठ चुका है और यह कह रहे हैं कि हां, कुछ विसंगतियां हैं।

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, यह सवाल इस समय नहीं है। सवाल अगर यह पूछते कि कितने लोगों ने आत्महत्या की, क्यों की तो मैं उसका जवाब देता। लेकिन यहां आत्महत्या करने का सवाल नहीं है। आत्महत्या मुल्क में जैसा मैंने कहा-बहुत होती है, कई दफा पोलिटिकली भी होती है, फिजिकली भी होती है, बहुत सी बातें होती हैं और इस समय मैं उसमें जाना नहीं चाहता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : चेयरमेन सर, आप भी एप्रीसियेट कर रहे हैं। इस माननीय सदन में यह डिसक्शन हो चुका है और वह भी हंस रहे हैं, आप भी हंस रहे हैं और एप्रीसियेट कर रहे हैं। यह बहुत ओब्जेक्शनेबल है, अध्यक्ष जी।

श्री भजन लाल : मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हरियाणा में कांग्रेस की आत्महत्या की बात होती तो हम मान लेते....(**व्यवधान**)... लेकिन वैज्ञानिकों की आत्महत्या की चर्चा चल रही है। इस सदन में मैंने मामला उठाया था। इसे तो गंभीरता से लेना चाहिए।

SHRI JAGESH DESAI: You have not taken it in the right spirit. .

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर मैंने मामला उठाया था, वाजपेयी जी ने उठाया था। इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

SHRI DIPEN GHOSH: We have **got** the proof that many scientists **had** committed suicide because they **were** denied promotion at the instance of the Minister.

श्री भजन लाल : यह इल्जाम आपका बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। किसी के साथ कोई ज्यादती होने का सवाल

नहीं। जिसका हक बनता था उसको प्रोमोशन बकायदा दी गई है । किसी का हक छीनने का सवाल नहीं उठता। वाजपेयी जी, आप बहुत ही सीनियर मेम्बर हैं और आपके प्रति बड़ा भारी आदर हमारे दिल में है। मैं इतनी बात कह सकता हूं कि यह सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है, इन्होंने कहा कि साहब, कमेटियां तीन बनीं, क्या उन्होंने रिपोर्ट दी? . . .

श्री वीरेन्द्र वर्मा: मैंने यह नहीं कहा, मैंने कहा कि कमेटियों की रिपोर्ट को कृषि मंत्रालय ने स्वीकार किया, पर्सोनिल मंत्रालय ने स्वीकार किया, एक्सपेंडीचर विभाग, वित्त मंत्रालय ने स्वीकार किया और यह कब स्वीकार किया, कब आपने मान्यता दी?

श्री भजन लाल: यही तो मैं आपसे कहने जा रहा था। आपने कहा कि कितने दिन से पेंडिंग क्यों पड़ा रहा? आप जानते हैं, सभापति महोदय, कमेटियां बनीं। जब इनका रिप्रजेण्टेशन आया, हम बकायदा उसकी तह में गए, कमेटियां बनाई और कमेटियों ने भी महसूस किया कि इनके साथ ज्यादती है और उन्होंने रिकमण्ड किया। यह रिपोर्ट आठ-नौ महीने पहले आयी थी और आप जानते हैं कि एग्जामिन होकर फाइनेन्स को केस जाता है, फिर फाइनेन्स वाले भी थोड़ा बहुत उसको देखते हैं। इस तरह डेढ़-दो-तीन महीने फाइनेन्स में लग गए। लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश यह रही कि इनको बकायदा इंसाफ मिले। हमने फाइनेन्स मिनिस्टर के साथ भी तीन दफा मीटिंग की हमारे हरि कृष्ण जी, स्टेट मिनिस्टर इस मामले को देखते हैं, उन्होंने कम से कम पांच-छः दफा जाकर फाइनेन्स मिनिस्टर के साथ बैठकर विचार-विमर्श किया और हमारे सेक्रेटरी ने भी विचार-विमर्श किया। आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि. . . .
(**व्यवधान**) . . .

श्री वीरेन्द्र वर्मा: मान्यवर, मैं आप का प्रोटेक्शन चाहता हूं। मैंने यह कहा कि तीन मंत्रालय स्वीकार कर चुके थे और आप कह रहे हैं कि इतनी दफा उनसे बातचीत की, मैं तो यह कह रहा हूं कि तीनों मंत्रालय स्वीकार कर चुके थे, कब स्वीकृति प्रदान की? तीनों मंत्रालय ने कब स्वीकार किया?

श्री भजन लाल: सभापति महोदय, मैंने अभी आपको यह बताया कि तीनों कमेटियों ने, आप जानते हैं, तीन महीने पहले इसको स्वीकार किया और फिर फाइनेन्स डिपार्टमेण्ट ने 16 फरवरी को इसको मंजूर किया, 18 फरवरी को हमने बकायदा एनाउन्समेण्ट कर दी। अब कोई अनोमिलीज उनके साथ नहीं है और पूरा उनको इंसाफ दिया गया है। इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है, जब एक फैसला हो चुका है और जितने भी साइंटिस्ट हैं, उसके मुताबिक उनको वेतन मिल गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा: "बी" पार्ट का जवाब नहीं आया। मैंने यह कहा था कि आई. सी. ए. आर. की एक रिव्यू कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी, उसको एग्जामिन करने के लिए पेनल आफ एक्सपर्ट बैठा था, उसने अपनी रिपोर्ट क्या दी है और कब दी है?

श्री भजन लाल: सभापति महोदय, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, यह विचाराधीन है और हमारी कोशिश होगी कि उस रिपोर्ट का फैसला दो हफ्ते के अंदर कर दें।

PROF. C. LAKSHMANNA; Mr. Chairman, Sir, the Minister has stated that the revised pay-scales were announced on 18th February to be effective from 1st January 1986. My question will be in two or three parts. First part is whether the scales announced are in accordance with the recommendations of the Fourth Pay Commission or they, are UGC scales; (b) if they are in accordance with Fourth Pay Commission's report, what was the reason for taking so much of

time to decide whether this particular organisation will get Fourth Pay Commission's scales or not, and if they have been given in accordance with UGC scales, what is the reason for not according them the status of the university while it is a deemed university, and not conferring scales upon them? Part (c) is, the announcement has come on 18th February, 1989. I would like to know whether this announcement has come in view of the question that is now being discussed today. I would like to know whether this announcement is subsequent t_0 the receipt of the notice for this question with regard to revised Pay scales, and whether it is only to meet the question in Parliament that this announcement was made, or it is a genuine continuation of the efforts to settle th$_e$ problem. Fourth part is...

MR. CHAIRMAN; No, no fourth question now.

PROF. C. LAKSHMANNA; Just the last. I would like to know from the Minister whether all the demands of those wh$_0$ submitted resignations have been adequately met by announcing the scales on 18th February.

MR. CHAIRMAN; You have already said it, and you are repeating it.

श्री भजन लाल: सभापति महोदय, जहां तक फोर्थ पे कमीशन की रिकमें डेशन का सवाल है तो मैं पहले रिकमंडेशन बता देता हूं कि उनको क्या रिकमंडेशन थी। ..(**व्यवधान**)..रिकमंडेशन आप नहीं पूछते हैं तो जो पे हमने दी और पहले उनको क्या मिलती थी, वह कहो तो वह बताऊं। ..(**व्यवधान**).. वह भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए वह बताइए? आपने यह पूछा कि रिकमंडेशन क्या थी। रिकमंडेशन कहो तो पूरा पेज पढ़कर सुना देता हूं कि फोर्थ पे कमीशन ने क्या रिकमंडेशन की और अगर आप यह पूछते हैं कि पहले उनको क्या मिलता था तो वह भी पूरा पेज है। वह भी पढ़कर बता देता हूं या आप के पास लिखकर भेज दूं या आप मेरे दफ्तर में या चेंबर में आइए। मैं आपको बता दूंगा।

PROF. C. LAKSHMANNA: My question was very simple. I wanted to know from the Minister whether the scales announced are in accordance with Fourth Pay Commission's recommendations or in accordance with UGC scales.

श्री भजन लाल: मैंने यह कहा कि बाकायदा यू०जी०सी० के मुताबिक दिया गया है। उनको अब जो वेतनमान दिए गए हैं वह यू०जी०सी० के मुताबिक दिए गए हैं और जैसे 30 हजार साइंटिस्ट्स मुल्क में हैं, जिस तरह से उनको वेतनमान मिल रहा है उसी तरह से इनको दिया गया है। उनको अब कोई शिकायत नहीं है। मोटी बात आपके सामने यह है। उनकी सारी मांगों का सवाल नहीं था। उनकी मांग यह थी कि हमारा जो वेतनमान है वह यू०सी०जी० के मुताबिक हो। आज बाकी साइंटिस्ट्स को जो मिलता है वह भी हमें मिलना चाहिए। उसके मुताबिक उनको दे दिया है। अब उनकी कोई शिकायत नहीं है। ..(**व्यवधान**)..एक बात सभापति जी, 18 फरवरी के बारे में इन्होंने कहा, तो यह केस कोई आज थोड़े ही चल रहा है, यह केस पिछले कई महीनों से चल रहा है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा: सभापति महोदय, कृषि मंत्री जी को तो आपने इजाजत भी नहीं दी फिर भी वह बोल रहे हैं।

MR. CHAIRMAN; Next question.

Import of wheat unfit for Human consumption

*46. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the wheat imported from the U.S.A. by the FCI in 1988 is unfit for human, consumption; and